

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

सैन अधिकारी—जे पी बैरवा, आर.ए.एस.

संख्या—78/2018 प्रार्थना पत्र

पिता देवा खारोल, उम्र वयस्क निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

श्री नारायणसिंह पिता श्री कालूसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी ओझाघर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति भंवर बाई बेवा कालूसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी ओझाघर, तहसील व जिला भीलवाड़ा  
नारायण पिता पत्थु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी ओझाघर, तह. व जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-..13.6.2018



प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओझाघर पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 430 रकबा 02 बीघा 06 कुल किता 1 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य सीमा नतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27/3/2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे में होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार हित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार जाकर ग्राम ओझाघर पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते खातों की आराजी नम्बर 430 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 02 बीघा 06 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को 300/-रुपये (अक्षर:- 300 रु मात्र) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की प्रति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पि:-तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा  
  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा (राज.)